

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****आपराधिक अपील संख्या- 3513 वर्ष 2025**

वीरेंद्र यादव

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : निशा देवी, अजय कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या: 28**माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

रिपोर्ट को देखते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 3 को उसके पिता के माध्यम से प्रतिस्थापन तामील के रूप में नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाती है।

(आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025)

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अध्ययन किया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए (2)

के तहत यह आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 10.09.2025 को जमानत आवेदन संख्या 2633/2025, केस अपराध संख्या 112/2025, बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(दा), 3(1)(धा), 3(2)(वा), 3(2)(व) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल व्यक्ति के टखने पर केवल एक चोट पाई गई थी, और घातक गोली चलाने का आरोप सह-आरोपी इमरान पर लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अपीलकर्ता को गोली चलाने या चोट पहुंचाने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और न ही उसके पास से या उसके द्वारा बताए जाने पर कोई आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि एक चार पहिया वाहन (स्विफ्ट डिजायर) कथित तौर पर बरामद किया गया था, अपीलकर्ता ने उस पर स्वामित्व से इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास का हलफनामे में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि वह पहले से ही उन मामलों में जमानत पर है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता 05.06.2025 से जेल में बंद है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि समानता के आधार पर अपीलकर्ता जमानत का हकदार है क्योंकि सह-आरोपी सुनील सरोज मोनू अन्नू को इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 10.10.2025 को आपराधिक अपील संख्या 3282/2025 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, और सह- अभियुक्त धर्मेन्द्र सरोज उर्फ नान्हू को आपराधिक अपील संख्या 26/2026 में 19.02.2026 को जमानत दी गई थी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यह आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और दिनांक 10.09.2025 के विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि अपीलकर्ता, अन्य सह-आरोपियों के साथ, एक गंभीर अपराध में शामिल है जिसमें पीड़ित को गोली लगने से चोट आई है। हालांकि, वे समानता के संबंध में दिए गए तथ्यों का खंडन करने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि सह-आरोपी सुनील सरोज मोनू उर्फ अन्नू और धर्मेन्द्र सरोज उर्फ नान्हू को समान भूमिकाएं निभाने के बावजूद इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसके अलावा, वे चिकित्सा संबंधी टिप्पणियों और सीसीटीवी फुटेज का खंडन नहीं कर सकते, जो यह दर्शाते हैं कि घातक गोली चलाने की विशिष्ट भूमिका केवल सह-आरोपी इमरान की थी, न कि वर्तमान अपीलकर्ता की।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि घायल व्यक्ति के टखने में केवल एक ही चोट आई थी। वर्तमान आरोपी-अपीलकर्ता पर गोली चलाने या चोट पहुंचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि वह पहले से ही उन मामलों में जमानत पर है। अपीलकर्ता 05.06.2025 से जेल में बंद है। मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस बात से सहमत है कि निचली अदालत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को समझने में विफल रही है; अतः निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। फलस्वरूप, प्रतापगढ़ के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा जमानत आवेदन संख्या 2633/2025 में दिनांक 10.09.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

अपीलकर्ता वीरेंद्र यादव को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iv) अपीलकर्ता अपराध नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (vii) गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (viii) यदि आवश्यक हो, तो अपीलकर्ता धारा 313 दं० प्र० सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए स्वयं उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 मार्च, 2026

हसीन यू.

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।